न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 06 / 2024

1. छोटुराम पुत्र रावताराम जाति तरड़ जाट साकिन चक 16–17 के एन.एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. संरपच ग्राम पंचायत पिचकराई जरिये संरपच ग्राम पंचायत पिचकराई तहसील नोहर

–असल रेस्पोंडेन्टस

3. घडसीराम पुत्र सीताराम जाति नायक साकिन चक 16–17 के . एन. एन. तहसील नोहर।
4. राजुराम पुत्र पेमाराम जाति भाट सांखला साकिन चक 16–17 के .एन.एन. तहसील नोहर।
5. कृष्ण पुत्र मुलाराम जाति भाट साकिन चक 16–17 के .एन.एन. तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार साकिन चक 16–17 के .एन.एन. तहसील नोहर।
7. बुधराम पुत्र गंगाराम जाति जाट सिंहाग साकिन चक 16–17 के. एन. एन. तहसील नोहर

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified

श्री रोहिताश सि[illegible] अप्रार्थी संख्या–01

Digitally signed by Sanju Pareek

Date: 2025.03.28 14:07:00 IST

श्री [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 ता 7

Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः– 31/[illegible]25

प्रार्थी छोटुराम पुत्र रावताराम जाति तरड़ जाट साकिन चक 16–17 के एन.एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा पटटा सं. 16 दिनाक 15.06.2012 बहक छोटुराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)

पुत्र रावताराम साकिन चक 16–17 के. एन.एन. तहसील नोहर को खारिज किया गया को बहाल किये जाने के सम्बध में रिविजन अन्तर्गत धारा 97 पचायती राजस्थान अधिनियम प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट रिविजन कर्ता के नाम से उसमें ग्राम चक 16–17 के . एन. एन. तहसील नोहर में एक पटटा शुदा भूखण्ड ग्राम पंचायत पिचकराई द्वारा जारी पटटा सं. 16 दिनांक 15.06.2012 बहक छोटुराम पुत्र श्री रावताराम तरड़ के पक्ष में जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट रिविजन कर्ता ने अपने मकानात आदि बना रखे है व एक दुकान जिसमें अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपने जिविकोपार्जन के लिए आटा चक्की लगा रखी है जिसका विद्युत बिल की प्रति सलग्न है। अपीलान्ट रिविजन कर्ता को जो 60 गुणा 90 फुट का भूखण्ड, जो सम्बबिधत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया वह सलग्न रिजिवन है।

2. रिविजनकर्ता भूखण्ड जिसकी माप 60 गुणा 90 फुट जो कि चक चक 16–17 के. एन. एन. तहसील नोहर में स्थित है उक्त भूखण्ड रिविजन कर्ता के 30–35 वर्षो से कब्जा में है और अपीलान्ट/प्रार्थी आज दिनांक तक इसका शान्ति पूर्वक उपयोग/उपभोग कर रहा है प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड जो कि प्रार्थी के आज दिनांक तक कब्जा में है अपीलान्ट/प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड जरिये इकरारनामा लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन चक 16–17 के एन.एन. तहसील नोहर से सन् 1994 में जरिये इकरारनामा खरीद किया था और उक्त रिविजन वर्णित भूखण्ड विक्रेता के पास दिनांक 06.01.1991 को पटटा शुदा पटटा सं. 13 के तहत कब्जा में रहा है, जो वाद में सन् 1994 में विक्रेता द्वारा मुझ रिविजन कर्ता को बेच दिया गया जो आज दिनांक तक अपीलान्ट प्रार्थी के शान्ति पूर्वक कब्जा में है।

3. अपीलान्ट/प्रार्थी ने भूखण्ड जिसका साईज 60 गुणा 90 का रिविजन वर्जित भूखण्ड अपने अधिकार में लेकर उसकी रिहायश सन् 1994 से शुरू कर दी व सन् 2012 में उक्त ग्राम पंचायत पिचकराई से जरिये सकल्प सं. 2 दिनांक 20.03.12 की अनुपालना में दिनांक 15.06.2012 को रसीद सं. 79 राशि 260/– रूपये जमा करवाकर बुक सं. 66 व पटटा सं. 16 जारी [illegible], जो सलग्न रिविजन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:00 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थी के उक्त रिविजन वर्जित भूखण्ड के पूर्व [illegible] पर एक 5 गुणा 5 फुट का भोमिया जी का मन्दिर बना हुआ है [illegible] मौखिक अनुमति 3–4 लोग जब अंपीलान्ट/प्रार्थी से भोमिया जी के थान के [illegible] जगह मांगने आये तब दी और लोगो ने कहा कि उक्त 5 गुणा 5 फुट की जगह हमारे लिए पर्याप्त है और इस प्रकार कच्ची ईन्टे रखकर मन्दिर की स्थापना की गई। इस मन्दिर को गांव के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

8–10 परिवार की मानते है। इसके पश्चात मन्दिर संचालन करने वाले 2–3 लोगो के मन में बदयांन्ति आ गई व वे छोटे से मन्दिर के आगे चबुतरा आदि बनाने लगे व 20 गुणा 15 फुट में ग्रिल आदि का निर्माण करने लगे तो, प्रार्थी ने उनसे कहा कि आपने पूर्व में 5 गुणा 5 फुट की जगह के लिए कहा था और जगह मेरे पटटा शुदा भूखण्ड में से नही दे सकता। इस पर ग्राम के मौजिज व्यक्ति वहा इक्कठा हो गये व उन्होने घडसीराम आदि, जो कि रिविजन शीर्षक में रस्पोडेन्ट सं. 3 ता 7 है से कहा कि आप गलत हो आपको ऐसा नही करना चाहिए चुंकि उक्त भूखण्ड छोटुराम का पटटे शुदा भूखण्ड है चुंकि रेस्पोडेन्ट चतुर चालाक व राजनैतिक रशुख रखने वाले व्यक्ति है तो उन्होने 5 गुणा 5 फुट से अधिक जगह पर ग्रिल आदि लगा ली, जो कि अपीलान्ट रिविजनकर्ता के सामपन्तिक अधिकारो का हनन है।

5. प्रार्थी ने इस सम्बध मे पुलिस थाना नोहर में प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेन्ट के खिलाफ पेश किया लेकिन उसके अत्याधिक प्रभावशाली होने के कारण कोई कार्यवाही नही हुई और उल्टा रेस्पोडेन्ट 3 तां 7 ने अपीलान्ट रिविजकर्ता को धमकाने लगे कि वे पचांयत समिति से उसका जारी शुदा पुरा पट्टा ही खारिज करवा देगे जिससे प्रार्थी भयभीत हो गया।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 7 ने रिविजन वर्जित पटटा सं. .16 के सम्बध में एक अपील 5/2024 प्रविष्टि दिनांक 16.01.2024 व निर्णय दिनांक 02.07.2024 पेश कर दी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर की स्टेडिंग कमेटी ने लगभग इकरफा सुनवाई कर दिनांक 02.07.24 को प्रार्थी के पक्ष में जारी शुदा सम्पूर्ण पटटा ही निरस्त कर दिया जो कि निर्णय पंचायत समिति द्वारा किया गया वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ है और यही बिनाय रिविजन है।

7. रिविजन कर्ता एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है व रिविजन वर्णित भूखण्ड में उसने आटा चक्की का कार्य कर रखा है व रिहायश के काम भी आता है। उक्त निर्माण उसने कर्ज लेकर कर रखा है। यदि उक्त पटटा बहाल नही होता है तो उसे कभी ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा जिसकी भरपाई प्रार्थी अपीलाॅट व उसका परिवार कभी नही कर पायेगा रिविजन मिमो के [illegible] संलग्न है, जिसमें सभी तथ्य साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:00 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रस्तुत रिविजन श्रीमान जी [illegible] न्याय शुल्क पर तहरीर कर से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

9. बाकी वाकायात वरवक्त बहस निवेदन किये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः रिविजन प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि –

(क)– यह कि अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 02.07.2024 बअनवानी घड़सीराम आदि बनाम छोटुराम आदि अपील सं. 5/2024 में पारित निर्णय को अपास्त किया जावें एवं रिविजनकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत पिचकराई द्वारा जारी शुदा पटटा सं. 16 बुक सं. 66 बरूवे छोटुराम/रावताराम जो कि सकल्प सं. 2 दिंनाक 20.03.2012 की अनुपालना में दिनाक 15.06.2012 को रसीद सं. 79 राशि 260/– रूपये जमा कर ग्राम पंचायत पिकचराई द्वारा जारी किया गया को बहाल किया जावे।

(ख)– ग्राम पंचायत पिचकराई को पाबन्द किया जावे कि दौराने रिविजन लम्बित रहते रिविजन वर्णित भूखण्ड का कोई अन्यत्र पटटा जारी न करे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या– 01 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि चक 16–17 के . एन. एन. तहसील नोहर में भूखण्ड ग्राम पंचायत पिचकराई द्वारा 60 X 90 फुट का पटटा सं. 16 दिनांक 15.06.2012 छोटुराम पुत्र श्री रावताराम तरड़ के पक्ष में जारी किया गया, जिस पर रिविजन कर्ता ने अपने मकान आदि बना रखे है व एक दुकान जिसमें प्रार्थी ने अपने जिविकोपार्जन के लिए आटा चक्की लगा रखी है। जिसका विद्युत कनैक्शन है। अपीलान्ट रिविजन कर्ता को जो 60 X 90 फुट का भूखण्ड, जिसका पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी ने यह भूखण्ड जरिये इकरारनामा लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन चक 16–17 के एन.एन. तहसील नोहर से सन् 1994 में जरिये इकरारनामा खरीद किया था और रिविजन वर्णित भूखण्ड विक्रेता के पास दिनांक 06.01.1991 को पट्टा शुदा पटटा सं. [illegible] के तहत कब्जा में रहा है, जो बाद में [illegible] विक्रेता द्वारा मुझे बेच दिया गया, जो आज दिनांक तक [illegible] भूखण्ड में एक खेजड़ी का पेड़ लगा हुआ। [illegible] वर्ष [illegible] इस पेड़ के नीचे भोमिया जी के मन्दिर की स्थापना हेतु 5 X 5 फुट जगह की म[illegible] की गई। प्रार्थी द्वारा ग्रामीणों की मांग पर भोमिया जी के मन्दिर की स्थापना हेतु 5 X 5 फुट दे दी लेकिन अब ग्रामीण इस मन्दिर का परिसर बढ़ा कर 5 X 5 फुट से 15 X 15 फुट करना चाहते है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़).

पर प्रार्थी को आपति है क्योंकि यह भूखण्ड प्रार्थी का पट्टाशुदा है एंव अपनें परिवार के रिहायस कर रहा है। इसी कारण कुछ ग्रामीणों द्वारा पंचायत समिति नोहर में अपील दायर की गई। पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी का सम्पूर्ण पट्टा खारिज कर दिया। अतः वर्तमान में निर्मित भोमिया जी के मन्दिर की 5 X 5 फुट की जगह को छोड़कर शेष भूखण्ड का पट्टा बहाल किया जावे किया जाकर प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर में छोटुराम पुत्र रावताराम के पक्ष में जारी पट्टा को खारिज करवानें बाबत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर की बैठक में ग्राम पंचायत पिचकराई द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.06.2012 को खारिज कर दिया गया। चक 16– 17 के.एन.एन. में खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थित भोमिया जी मन्दिर काफी पुराना है। जिसकी पुजा पाठ ग्रामीणों द्वारा काफी वर्षों से की जा रही है। प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई के साथ मिलिभगत कर भोमियाजी के मन्दिर की जगह को सम्मलित करते हुये पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.06. 2012 जारी करवा लिया। पंचायत समिति नोहर द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट को उचित मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी छोटुराम पुत्र रावताराम का पट्टा खारिज किया गया। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 02.07.2024 को पारित निर्णय विधि सम्मत एंव नियमानुसर सही है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी छोटूराम पुत्र रावताराम का पट्टाशुदा भूखण्ड लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी [illegible] 7 के.एन.एन से वर्ष 1994 में खरीद होना एंव कब्जा सौंपना बताया है एवं इसका इकरारनामा दिनांक 21.08.2024 को किया गया है। इस इकरारनामा का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई जिक्र भी नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी छोटुराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इकरारनामा के संबध कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करनें पर यह स्पष्ट नहीं होता कि लालचन्द पुत्र किशनाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर ... नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 06.01.1991 को ग्राम पंचायत जसाना एंव ग्राम पंचायत पिचकराई द्वारा प्रार्थी छोटुराम पुत्र रावताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 16 किस आधार पर जारी किया गया है? एंव जब पट्टा जारी किया गया, तब भोमिया जी का मन्दिर था या नहीं? अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा पट्टा किस कारण पट्टा खारिज किया यह दिनांक 02.07.2024 को पारित निर्णय में स्पष्ट नहीं है।

न्यायालय के मत निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2024 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति, पंचायत समिति नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि पट्टा संख्या 13 दिनांक 15.06.2012 एंव पट्टा संख्या 16 दिनांक 06.01.1991 के दस्तावेजों की जांच कर, भोमिया जी के मन्दिर की जगह 10 X 10 फुट को छोड़तें हुये पुनः पट्टा जारी करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31/1/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:00 IST
Reason: SelfAttested